## न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

**पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.**

**प्रकरण सं0 276/22** **दायर दिनांक 04—10—2022**

कृष्णलाल पुत्र श्री श्रवण राम जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादी

बनाम

1— जयपाल पुत्र श्री मनीराम ( तर्क ) दिनांक 30—06—2023

2—पूर्णराम पुत्र श्री नानक
3— फुसाराम पुत्र श्री गोविन्दराम
4—श्योकरण पुत्र श्री नानक
5— शिवलाल पुत्र श्री नानक

} अकवाम नायक साकिनान 10 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ राज0

6—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———— प्रतिवादीगण

**वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 राज0 काश्त0 अधि0 1955**

**उपस्थित :—**

**1— रामनारायण जालप अभिभाषक वादी**

**2— पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।**

**—:— निर्णय —:—** **दिनांक :— 26.02.2024**

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 17 एस टी बी ए पटवार हल्का रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ के खाता सं0 6 नया, 68 पुराना के प0न0 42/327 मु0न0 22 के किला नं0 16/0.253 है0, 21 ता 25/1.265 है0 कुल 1.518 है0 नहरी खातेदारी भूमि में वादी का 163/759हिस्सा यानि 0.326 है0 एवं प्रतिवादी सं0 2 का के नाम 379/1518 हिस्सा यानि 0.379 है0 प्रतिवादी सं0 3 के नाम 9/253 हिस्सा यानि 0.054 है0 , प्रतिवादी न0 4 के नाम 190/759 हिस्सा यानि 0.380 है0 , प्रतिवादी नं0 5 के नाम 379/1518 हिस्सा यानि 0.379 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के द्वारा संयुक्त खाते की जैरवाद भूमि का आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा बैयनांमा के समय से ही किया जा चुका है। तथा इसी घरेलू बंटवारे के मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादीगण के कास्त करते आ रहे है। वादी के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 17 एस टी बी ए पटवार हल्का रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ के खाता स0 6 के प0न0 42/327 मु0न0 22 के किला नं0 16/0.073 है0 दक्षिण पासा , 25/0.253 है0 कुल 0.326 है0 नहरी खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है । जैरवाद रकबा पर घरू बंटवारा के अनुसार ही वादी उक्त रकबा पर कब्जा काश्त करता आ रहा है । वादी द्वारा अपने उक्त वर्ति रकबा में भारी खर्चा लगाकर गोबर की खाद डाल कर हजारो रूपये का करावा लगाकर समतल किया तथा कृषि योग्य उपजाउ भूमि बनाई है। जिसको वादी ने अपनी मेहनत से सींचा है । जैरवाद भूमि का खाता संयुक्त होने से रकम , बैंक से ऋण लेने में टयूबैल लगाने व टयूबैल पर विषुत कनेक्शन लेने में भारी कठिनाईयो का समाना करना पड़ता है । वादी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में अनेक प्रकार की बाधाए आ रही है । सरकार के द्वारा कृषि भूमि का विकास के लिए सुवि0धा से वादी को वंचित रहना पड़ता है । इसलिए खाता विभाजन कराना आवश्यक है । वादी खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की तलबी अखवार से करवाई गई । प्रतिवादी नं0 1 ता 5 जरिये अखवार तलबी के बावजूद न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिण कार्यवाही की गई। पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

वकील वादी ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने जैरवादी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयपाल की भूमि 0.014 है0 भूमि जरिये बैयनांमा खरीद कर ली है जिसका इन्तकाल सं0 459 दिनांक 30–05–2023 को वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया इसलिए प्रतिवादी नं0 1 जयपाल का नाम तर्क किया जावे एवं वादी को जैरवादी भूमि में 0.326 है0 भूमि का खाता विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है ।

बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बावजूद तलबी प्रतिवादीगण उपसिथत नही आये है । इसलिए वाके चक 17 एस टी बी ए पटवार हल्का रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ के खाता सं0 6 नया, 68 पुराना के प0न0 42/327 मु0न0 22 के किला नं0 16/0.253 है0, 21 ता 25/1.265 है0 कुल 1.518 है0 नहरी खातेदारी भूमि का खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा वाके चक 17 एस टी बी ए पटवार हल्का रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ के खाता सं0 6 नया, 68 पुराना के प0न0 42/327 मु0न0 22 के किला नं0 16/0.253 है0, 21 ता 25/1.265 है0 कुल 1.518 है0 नहरी खातेदारी भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के नाम निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:–

| क्र. स. | नाम काश्तकार | चक | प0न0 | किला नम्बर / रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्णलाल पुत्र श्री श्रवण राम जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ खातेदार | 17 एस टी बी ए | 42/327 मु0 नं0 22 | 16/0.073 है0 दक्षिण पासा, 25/0.253 है0 कुल 0.326 है0 नहरी है0 खातेदारी भूमि |
| 2 | 2–पूर्णराम पुत्र श्री नानक 379/1518 हिस्सा, 3–फुसाराम पुत्र श्री गोविन्दराम 9/253 हिस्सा, 4–श्योकरण पुत्र श्री नानक 190/759 हिस्सा, 5–शिवलाल पुत्र श्री नानक 379/1518 हिस्सा अकवाम नायक साकिनान 10 टी के तहसील रायसिंहनगर खातेदार | 17 एस टी बी ए | 42/327 मु0 नं0 22 | 16/0.180 है0 उतरी पासा, 21 ता 24/1.012 है0 कुल 1.192 है0 नहरी खातेदारी भूमि खातेदारी भूमि |

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.2.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

संदीप कुमार
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई**

**अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर**

**बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.**

**अनवान :**

कृष्णलाल पुत्र श्री श्रवण राम जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ––––– वादी

बनाम

1– जयपाल पुत्र श्री मनीराम ( तर्क ) दिनांक 30–06–2023

2–पूर्णराम पुत्र श्री नानक
3– फुसाराम पुत्र श्री गोविन्दराम
4–श्योकरण पुत्र श्री नानक
5– शिवलाल पुत्र श्री नानक
} अकवाम नायक साकिनान 10 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ राज0

6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

––––– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 276 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी रामनारायण जालप एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 17 एस टी बी ए पटवार हल्का रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ के खाता सं0 6 नया, 68 पुराना के प0न0 42/327 मु0न0 22 के किला नं0 16/0.253 है0, 21 ता 25/1.265 है0 कुल 1.518 है0 नहरी खातेदारी भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण 2 ता 5 के नाम निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:–

| क्र. स. | नाम काश्तकार | चक | प0न0 | किला नम्बर / रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्णलाल पुत्र श्री श्रवण राम जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ खातेदार | 17 एस टी बी ए | 42/327 मु0 नं0 22 | 16/0.073 है0 दक्षिण पासा , 25/0.253 है0 कुल 0.326 है0 नहरी है0 खातेदारी भूमि |
| 2 | 2–पूर्णराम पुत्र श्री नानक 379/1518 हिस्सा , 3–फुसाराम पुत्र श्री गोविन्दराम 9/253 हिस्सा, 4–श्योकरण पुत्र श्री नानक 190/759 हिस्सा , 5–शिवलाल पुत्र श्री नानक 379/1518 हिस्सा अकवाम नायक साकिनान 10 टी के तहसील रायसिंहनगर खातेदार | 17 एस टी बी ए | 42/327 मु0 नं0 22 | 16/0.180 है0 उतरी पासा, 21 ता 24/1.012 है0 कुल 1.192 है0 नहरी खातेदारी भूमि खातेदारी भूमि |

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना... ...×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.02.2024 को जारी की गई।

संदीप कुमार
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)